उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 626 /3-2 बजट (CA)/24-25 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–619/3–5 दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 एव पत्रांक नि0–604/3–5 दिनांक 08 नवम्बर, 2024।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदर्भित पत्रो से वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत क्रमशः ₹4.80 लाख व ₹2430.15 लाख अर्थात् कुल ₹24.3495 करोड़ की धनराशि संदर्भित पत्रों में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्रों की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग क्षतिपूरक वनीकरण (CA) **गतिविधि हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक–1** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (*कैम्पा वेबसाईड में अपलोड*) व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।

2. **अन्य नियम व शर्तेः–**

I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

> उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–
> *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली – 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे ;*
> *और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो , के अनुरूप होंगे।*
> *परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।*

III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

v. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vi. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

vii. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

viii. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

ix. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

x. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

xi. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

xii. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

xiii. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

xiv. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

xv. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 626 /3-2 बजट (CA)/24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक के पत्रांक नि0–604/3–5 दिनांक 08–11–2024 (रू0 2430.15 लाख व पत्रांक नि0–619/3–5 दिनांक 05–10–2024 (रू0 4.80 लाख) से आवंटित धनराशि के भौतिक लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण में अग्रिम मृदा कार्य		क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अनुरक्षण कार्य		क्षतिपूरक वनीकरण		वर्तमान में कुल आवंटन
	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8
ALMORA DIVISION	30.54	35.08	359.47	46.54	100.49	13.54	95.16
ALMORA CS DIVISION	9.15	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
PITHORAGARH DIVISION	106.91	122.83	1798.90	281.29	212.70	45.43	449.55
CHAMPAWAT DIVISION	26.92	30.93	414.99	72.13	27.00	5.77	108.83
BAGESHWAR DIVISION	51.87	59.55	506.55	82.16	112.01	15.04	156.75
Total NORTH KUMAON CIRCLE	**225.39**	**258.90**	**3079.91**	**482.12**	**452.20**	**79.78**	**820.80**
NAINITAL DIVISION	0.00	0.00	479.80	75.06	10.32	1.13	76.19
RAMNAGAR SC DIVISION	0.00	0.00	4.18	0.75	38.62	4.57	5.32
Total in SOUTH KUMAON CIRCLE	**0.00**	**0.00**	**483.98**	**75.81**	**48.94**	**5.70**	**81.51**
TARAI EAST DIVISION	107.70	90.52	1233.35	98.28	218.36	45.78	234.58
TARAI WEST DIVISION	0.00	0.00	24.50	2.73	0.00	0.00	2.73
TARAI CENTRAL DIVISION	3.60	4.74	162.39	10.87	33.40	7.14	22.75
HALDWANI DIVISION	40.00	57.13	249.42	25.31	0.00	0.00	82.44
Total in WESTERN CIRCLE	**151.30**	**152.39**	**1669.66**	**137.19**	**251.76**	**52.92**	**342.50**
Total KUMAUN ZONE	**376.69**	**411.29**	**5233.55**	**695.12**	**752.90**	**138.40**	**1244.81**
UTTARKASHI DIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65	9.85	9.85
NARENDRA NAGAR DIVISION	0.00	0.00	420.03	72.71	29.17	4.90	77.61
TEHRI DIVISION	0.00	0.00	394.01	44.57	133.00	0.00	44.57
Total in BHAGIRATHI CIRCLE	**0.00**	**0.00**	**814.04**	**117.28**	**220.82**	**14.75**	**132.03**
PAURI CS DIVISION	0.00	0.00	2.97	0.55	0.00	0.00	0.55
BADRINATH DIVISION	22.99	32.72	1180.98	219.19	199.81	103.14	355.05
GARHWAL DIVISION	0.00	0.00	259.09	41.55	39.32	0.00	41.55
ALAKNANDA SC DIVISION	0.00	0.00	8.00	1.28	0.00	0.00	1.28
RUDRAPRAYAG DIVISION	33.16	47.18	1099.10	137.69	29.91	6.77	191.64
Total in GARHWAL CIRCLE	**56.15**	**79.90**	**2550.14**	**400.26**	**269.04**	**109.91**	**590.07**

प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण में अग्रिम मृदा कार्य		क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अनुरक्षण कार्य		क्षतिपूरक वनीकरण		वर्तमान में कुल आवंटन
	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार) भौतिक (है0 में)	वर्तमान में आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8
LANSDOWNE SC DIVISION	1.20	1.34	61.79	3.76	27.28	2.60	7.70
KALSI SC DIVISION	0.00	0.00	208.03	25.38	0.00	0.00	25.38
LANSDOWNE DIVISION	11.82	16.14	33.50	2.47	18.19	1.81	20.42
HARIDWAR DIVISION	0.00	0.00	1357.00	81.15	73.69	0.91	82.06
DEHRADUN DIVISION	0.00	0.00	1759.13	107.96	30.00	8.13	116.09
Total in SHIVALIK CIRCLE	**13.02**	**17.48**	**3419.45**	**220.72**	**149.16**	**13.45**	**251.65**
UPPER YAMUNA DIVISION	0.00	0.00	254.12	17.97	0.00	0.00	17.97
CHAKRATA DIVISION	12.48	12.62	410.51	30.78	54.31	6.98	50.38
MUSSOORIE DIVISION	0.00	0.00	234.95	20.78	9.64	1.82	22.60
TONS DIVISION	0.00	0.00	469.31	40.60	10.00	1.93	42.53
Total in YAMUNA CIRCLE	**12.48**	**12.62**	**1368.89**	**110.13**	**73.95**	**10.73**	**133.48**
Total GARHWAL ZONE	**81.65**	**110.00**	**8152.52**	**848.39**	**712.97**	**148.84**	**1107.23**
NANDADEVI NATIONAL PARK	0.00	0.00	674.56	35.56	3.27	0.52	36.08
KEDARNATH DIVISION	0.00	0.00	478.62	35.56	49.04	0.90	36.46
GOVIND WLS	0.00	0.00	89.80	10.37	0.00	0.00	10.37
Total in WILDLIFE DIVISIONS	**0.00**	**0.00**	**1242.98**	**81.49**	**52.31**	**1.42**	**82.91**
Grand Total	**458.34**	**521.29**	**14629.05**	**1625.00**	**1518.18**	**288.66**	**2434.95**

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA